न्यायालय मा. राजस्व मंडल ग्वालियर कैंम्प भोपाल म.प्र.

पुनरीक्षण क. निग-1752-I-16 प्रस्तुत दिनांक17/05/2016

कल्याणसिंह आयु 50 वर्ष वल्द बिहारीलाल कुशवाह

निवासी ग्राम हरसददूखेड़ी तह. कुरवाई जि. विदिशा

म.प्र...... .......पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

श्रीमति खेमाबाई कुर्मी आयु 48 वर्ष पत्नि श्री मोतीसिंह कुर्मी निवासी ग्राम भैंसवाया तह. कुरवाई जि. विदिशा म.प्र.

......उत्तरदाता

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह पुनरीक्षण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार कुरवाई के प्र.क. 3अ/70/14-15 पक्षकार कल्याणसिंह बनाम श्रीमति खेमाबाई में पारित आदेश दिनांक 21/4/2016 से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण प्रकरण के निम्न तथ्यो एवं आधारो पर प्रस्तुत है-

प्रकरण के तथ्य

पुनरीक्षणकर्ता कल्याणसिंह ग्राम हरसददूखेड़ी प.ह. 53 रा.नि. पठारी तह. कुरवाई जि. विदिशा में स्थित ख.न. 9/2 रकवा 1. 891 हे. भूमि का स्वामी है जिसने सीमांकन प्रकरण क. 52अ/12/14-15 आदेश दिनांक 13/6/2015 के अनुसार सीमांकन कराया पड़ोसी कृषको को सूचित किया गया।

....2....

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1752–एक / 16 जिला – विदिशा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 10.8.16 | प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी नायब तहसीलदार, कुरवाई के प्रकरण कमांक 3 / अ–70 / 14–15 में पारित आदेश दिनांक 21.4.16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।<br>2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक कल्याण सिंह द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पर राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 13–6–15 द्वारा सीमांकन स्वीकार किया । इस सीमांकन आदेश के आधार पर आवेदक ने संहिता की धारा 250 का प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया उक्त प्रकरण में नायब तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा कार्यवाही इस कारण स्थगित करदी गई है कि अनावेदिका द्वारा सीमांकन के राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरूद्ध निगरानी कमांक 3346–एक / 15 राजस्व मंडल में पेश की गई है । नायब तहसीलदार के उक्त आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी पेश की गई है ।<br>3– प्रकरण में आवेदक की ओर से सुनवाई दिनांक को कोई उपस्थित न होने से उन्हें 10 दिवस का समय लिखित बहस हेतु दिया गया था किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है ।<br>4– अनावेदिका की ओर से लिखित बहस पेश की गई है ।<br>5– प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण संहिता की धारा | |

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | 250 का है । इस प्रकरण के अतिरिक्त अनावेदिका द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 13–6–15 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी कमांक 3346–एक/15 पेश की गई है, जिसे इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 10 –8–16 द्वारा निरस्त किया गया है । ऐसी स्थिति में यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा नायब तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे आवेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण का निराकरण यथाशीघ्र करें । <br> उभयपक्ष सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । <br> सदस्य | |